गर्व से कहो हम किसान हैं।

किसान जागृति मंच

सिद्धान्त

किसानी जीवन में चल रहे दुषित मनोवृत्ति को बदलना, मनमुटाव की जगह–सदभाव प्रतिशोध की जगह करुणादया,सहानुभूति, सहनशीलता, संवेदनशील समर्पण। '' हम और हमारे की जगह सब और सबों का'' विस्तृत एवं विकसित भाव आदि का ज्ञानवर्धन कर सामाजिक संस्कृति एवं राजनैतिक स्तर पर सद्भाव की जागृति पैदा करना, जिससे कुप्रबंधन के शिकार से बच सके एवं बड़े खर्च से बच सके।

मंच का गठन इस प्रकार

1. पंचायत के तमाम वार्डो से 2–2 सुझ–बूझ रखनेवाले सम्मानित सदस्यों का चयन करना।
2. तमाम सदस्यों की एक बैठक कर उन्हीं सदस्यों द्वारा एक संयोजक का चयन करना।
3. पंचायत के अन्दर किसी दाता से मंच के लिए भवननिर्माण हेतु जमीन दान लेना।
4. भवन का निर्माण आपसी चंदा एवं सहयोगराशि से करना।
5. जब तक अपना भवन नहीं होता है तब तक ग्राम के किसी महानुभाव के घर बैठक का आयोजन।

उद्धेश्य

पंचायत स्तर पर किसी प्रकार का किसानों के साथ या गाँव के किसी भी सम्मानित व्यक्ति के साथ कोई भी वाद–विवाद होता है तो, उसका निवारण करना:– जैसे किसी व्यक्ति का मवेशी किसी खेत में भूलवश फसल चर जाना या क्षति होना, किसी बच्चे या व्यक्ति ने लालच या लोभवश एक भुट्टा तोड़ लेना, दो आलु उखाड़ लेना, एक खीरा तोड़ लेना, व आम तोड़ लेना, दो–चार लीची तोड़ लेना। ऐसा काण्ड कभी–कभी बड़ी घटना का रूप लेता है। जमीन संबंधी विवाद, बाप–बेटे का झगड़ा, पति–पत्नी का झगड़ा, किसानों के बच्चे का अच्छी पढ़ाई में बाधा आना, किसान–परिवार को अच्छे इलाज का उपाय, फिर किसी भी तरह की समस्या का निवारण।

परम्परागत खेती के अलावे, औषधीय खेती का प्रचलन करना, जमीन की उर्वरा शक्ति बचाने के लिए जैविक खाद एवं जैविक कीटनाशक दवा इत्यादि। नई विकसित प्रणाली पर प्रशिक्षण लगाना, स्वच्छ एवं स्वास्थ्य रहने पर विचार करना, मिश्रित खेती करने पर विचार करना, मशरूम की खेती पर प्रशिक्षण लगाना, कृषि–ऋण के बारे में प्रशिक्षण, खपत के आधर पर उत्पादन करने पर विचार करना, फसल बीमा योजना आम और तमाम लोगों को मिलने पर विचार करना।

निवारण का तरीका

1. उपरोक्त सभी वारदात ज्ञान के अभाव में घटित होता है, जिसके चलते इन घटनाओं से अपराधी मानकर हम उसका निवारण करते हैं। ऐसा नहीं इसलिए इस तरह की घटना यदि पंचायत स्तर पर घटते हैं, तो उसी वार्ड के सम्मानित सदस्य उनके घर जाकर वादी/प्रतिवादी से मिल कर वाद निवारण हेतु किसान जागृति मंच के नाम एक आग्रह पत्र लेंगे।
2. मंच के तमाम सदस्य इस आग्रह–पत्र के आधार पर 24 घंटे के अन्दर मंच के सभी सदस्यों के बीच विकसित विचार भाषा एवं संवेदनशीलता, सहानुभूतिपूर्ण विचार से वाद को खत्म कर दोनों पक्षों को मेल करा देंगे, यदि सफलता नहीं मिली, तो उक्तवाद को अपने मन्तव्य देकर प्रखण्ड कमिटि को अग्रसारित करेंगे। प्रखण्ड कमिटि 24 घंटे के अन्दर यदि समाप्त नहीं कर पायी तो वह अपने एवं पंचायत स्तर के मन्तव्य के साथ जिला कमिटि को अग्रसारित कर देंगे जिससे किसी भी परिस्थिति में वादी/प्रतिवाद को बड़े खर्च होने से बचाया जा सके।

Printing: Sanjay Designs, KTR. 9835460540

किसान विरोधी कानूनों को वापस लेना होगा।

कृषि उत्पादनों को समर्थन मूल्य देना होगा।

किसानों को सरकार का समर्थन और राज राहत (सब्सिडी) जारी रहना जरूरी है दुनिया के अनेक धनी देश भी खेती को बचाने के लिए भारी मदद देते हैं। भारत सरकार आर्थिक उदारीकरण और खगोलीकरण के पुराने कार्यक्रमों में कृषि क्षेत्र को भी लेने की कोशिश करके पूरे देश को परेशानी में डाल रहे हैं। खेती के क्षेत्र के प्रति कल्याणकारी समर्थन देने के दायित्व से हाथ खींच रही है, इस तरह किसानों की आय को दोगुना बनाने के दावे से मुकर भी रही है। उदारीकरण के नाम पर जो आर्थिक सुधार किए गए हैं उसका एक परिणाम है कॉरपोरेट तबकों का धन बढ़ना। इसी दौर में अंबानी और अडानी समूह ने धन और धरती पर भारी कब्जा जमाया है। इन कानूनों के माध्यम से कृषि क्षेत्र के यह सुधार कॉरपोरेट पूंजी के विकास और किसानों के विनाश की दास्तान होंगे इसके लिए सितंबर 2020 में तीन विवादास्पद कानून देश पर लाद दिया गया। यहाँ हम इसके बुरे परिणामों की जांच करते हैं:-

(1) <u>कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) कानून 2020</u>

इससे यह अनिवार्यता खत्म हो गई है कि सरकारी मंडियां यानी बाजार समिति में खाद्यान्न या खेती के अन्य उपज बेचे जाएंगे। बल्कि यह कानून यह प्रेरित करने के लिए बना है कि खरीद-बिक्री किसानों और कंपनियों के बीच समझौता पर आधारित होगा। इसमें यह मंशा भी छुपी हुई है कि मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर भी खरीदारी नहीं की जाएगी। जिसकी मार किसानों पर सबसे ज्यादा पड़ेगी अपने उत्पादनों को लेकर राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय उत्पादनों की प्रतियोगिता में देश के किसान शायद ही टिक पाए। ज्ञात हो कि 1970 के दशक में एपीएमसी कानून बना था जिनसे बिहार में कृषि बाजार समितियां बनाई गई थी इन्हें अन्य कई जगह मंडी कहते हैं। सन 2006 में बिहार में एपीएमसी कानून को निरस्त करके बाजार समितियों को बंद कर दिया गया था नए कानून से एपीएमसी मंडी देशभर में बंद हो जाएंगे। क्योंकि बाजार के खुलेपन या उदारीकरण की कथित दिशा में सुधार के नाम पर खेती के क्षेत्र में यह सभी नए कानून हैं इसका एक मकसद अनाज व्यापार का प्रतियोगी वातावरण बनाना है जिसका सीधा मतलब है खेती के क्षेत्र में बाजार की मुनाफाखोरी के लिए वातावरण बनाना और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को कमजोर करते जाना अर्थात खेती-किसान को किसानों के हाथ में नहीं बाजार की शक्तियों के हाथ में डाल देना। बिहार में बाजार समिति में समर्थन मूल्य पर खरीदारी लगभग 2006 से बंद है पैक्स के नाम से बनी किसान सहकारी समितियां मुख्य रूप से केवल धान की खरीद का दिखावा करती है। इस साल पैक्स खरीद प्रक्रिया में बिहार सरकार द्वारा जो सुधार लाए गए हैं, उसके स्थायित्व की गारंटी भी नहीं है। बल्कि खरीदारी खत्म करने की मंशा के उजागर हो जाने से धोखाधड़ी के रूप में यह सुधार किया जा रहा है। अभी भी आप भरोसा नहीं कर सकते हैं कि गेहूं, मकई, दलहन, तिलहन, इत्यादि 20 प्रकार की कृषि उपज का घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को बिहार में लागू किया जाएगा जबकि यह किसानों की मांग रही है।

(2) <u>कीमत आश्वासन और कृषि सेवाओं का करार 2020</u>

यह कानून कॉन्ट्रैक्ट या ठेका खेती के लिए कंपनियों खासकर बड़ी कंपनियों को मदद देने को ध्यान में रखकर या कंपनियों को किसानों के साथ करार करने के लिए ढांचा देने वाला कानून है। मौसम की मार या मजबूरी में यदि किसान इस कानून का लाभ लेकर कंपनियों के साथ समझौता और अनुबंध करते हैं तो किस तरह बड़े हाथों के चंगुल में फसेंगे, इन अनुभवों को सोशल मीडिया पर काफी कुछ लिखा जा रहा है। निश्चित रूप से जो करार होगा उससे कंपनियों का भयादोहन(ब्लैकमेल) बढ़ेगा ही। करार टूटने के विवाद का हल करने के लिए कानून में समाधान बोर्ड की व्यवस्था की गई है जिसके फैसले को एसडीओ कोर्ट में

या डीएम कोर्ट में चुनौती देने का प्रावधान है पर अदालतों में नहीं जा सकते। जैसी संभावना है कि कंपनियां यदि करार का पालन नहीं करती हैं तो "समाधान बोर्ड" और इसके आगे एसडीओ या उससे भी आगे डीएम की एक्सक्यूटिव कोर्ट ज्यादातर मामलों में किसान की जगह बड़ी कंपनियों के पक्ष में खड़ी होंगी तब किसानों को हाईकोर्ट में ही याचिका दाखिल करने की मजबूरी होगी

(3) <u>आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून-2020</u>

बीते 02 वर्षों से सरकार किसानों की वास्तविक आमदनी को दोगुना करने, कृषि लागत निर्धारण के लिए एम०एस० स्वामीनाथन रिपोर्ट के सुझावों को लागू करने तथा लागत से डेढ़ गुना कीमत देने की बात कर रही थी और यह काम सन 2022 तक पूरा करने का वादा भी किया गया था परंतु केंद्र सरकार ने वैश्विक महामारी कोरोना आपदा में लॉकडाउन के दौरान सलाह मशविरा किए बिना शीघ्र ही अध्यादेश लाकर तीन विवादास्पद कानून लादा फिर इसे संसद से पारित करवाया। इस पर राष्ट्रपति ने 27 सितंबर को दस्तखत करके जल्दी से कानून बना दिया। 1955 में खाद्यान्न की जमाखोरी के खिलाफ जो कानून बना था उसके अनुसार सरकार के गोदामों के अलावा किसी व्यापारी को गोदामों में एक सीमा से ज्यादा अनाज इकट्ठा करने का अधिकार नहीं था। महँगाई को रोकने के लिए दलहन, तिलहन, आलू, प्याज जैसी आवश्यक वस्तुओं के भंडारण की सीमा तय थी जिस कारण खरीद छोटे व्यापारियों और एजेंट द्वारा होती थी दूसरी तरफ सरकारी गोदाम भी कम पड़ रहे थे व्यापारियों की चिंता थी कि पुराने कानून के अनुसार वह लोग अनाज की जमाखोरी नहीं कर पा रहे थे परंतु अनाज के भंडार बनाने के लिए व्यापारियों और कंपनियों को खुली छूट देते हुए जो कानूनी प्रावधान बनाया गया है वह खतरनाक है इससे बड़ी कंपनियां अब असीमित भंडारण (स्टॉक) कर सकेंगी। असीमित भंडारण (स्टॉक) के बाद कम्पनियाँ मनमर्जी से अपना स्टॉक (भंडारित खाद्यान) बेचेंगी। इससे सामान की कीमत ज्यादा हो जाएगी। इससे व्यापारी तो मुनाफा बढ़ा पाएंगे पर किसानों को दाम नहीं मिल पाएगा। आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 1955 में बने उक्त कानून का ही संशोधन है जिसके अनुसार अब कालाबाजारी को लगभग वैध कर दिया गया है जिसकारण जमाखोरी व मुनाफाखोरी बढ़ने का डर है।

अतः इन तीनों कानून को रद्द करते हुए किसान जागृति मंच भारतीय राष्ट्रीय कृषि निति बनाने की मांग करती है । इस कानून का ढाँचा खपत के आधार पर उत्पादन करना तय किया जाएगा।

दूसरा किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय जल प्रबंधन की निति बनानी होगी । जिससे किसानों का जान–माल एवं फसल नष्ट नहीं होने की गारंटी होगी । इस कानून का ढ़ाँचा नदियों के पानी को बड़ी–बड़ी केनाल के द्वारा गंगा में प्रवाहित करना होगा ।

तीसरा फसल बीमा योजना सरल एवं सीधा बनाना होगा जिससे कानूनी पेंच मकरजाल नहीं हो और यह किसानों के अनुभव वर्षों का अनुमान पर आधारित बढ़िया कानून होगा ।

इन तीनों कानून लागू होने के बाद किसानों को न बैंक से ऋण, न महाजन से कर्ज चाहिए । किसानों की आमदनी में गारंटी होगी, जान–माल व फसल नुकसान नहीं होंगे एवं बढ़िया बीमा कानून से छति की पूर्ति होगी । तभी होगा किसान एवं देश का भला ।